राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 655/2023

विनोद कुमार रेगर –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सचिवालय, जयपुर।
2. उप आयुक्त एव उप शासन सचिव (द्वितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजपाल धनखड, अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। अपीलार्थी पंचायत समिति, विजयनगर, श्रीगंगानगर में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति, विजयनगर, श्रीगंगानगर से पंचायत समिति श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर किया गया। इससे पूर्व अपीलार्थी का आदेश दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा स्थानान्तरण पंचायत समिति सार्दुलशहर, श्रीगंगानगर से वर्तमान पदस्थापन स्थान पंचायत समिति विजयनगर, श्रीगंगानगर किया गया तथा उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का 5 माह की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया गया है, जो अवैध एवं अनुचित है। इससे पूर्व भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 24.08.2021 (अनुलग्नक–4) द्वारा किया गया था।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, विजयनगर, श्रीगंगानगर पद पर किसी का पदस्थापन नहीं किया गया है एवं पद रिक्त है। अपीलार्थी के निरंतर स्थानान्तरण किए जा रहे हैं। अतः आलौच्य आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)